न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 01/2012 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्रीमती प्रेमकुमारी पत्नि स्व0 श्री शिवलालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बुर्जा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. महन्त रामदास, अट्टा मन्दिर, अलवर राज0 ।
2. लक्ष्मण सैनी पुत्र हरलाल जाति माली निवासी खारिया कुआं, स्कीम नं0 10–ए. अलवर राज0 ।
3. डालचन्द सैनी पुत्र हरलाल जाति माली निवासी खारिया कुआं, स्कीम नं0 10 ए., अलवर राज0 ।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर ।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री के0 के0 रायजादा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3
4. श्री गणपतसिंह नरूका पैरोकार सरकार ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 17.10.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी/वादनी ने एक वाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के पति शिवलालसिंह जब एक वर्ष के थे

जब उनके पिता श्री रामलाल जी का देहान्त हो गया और वे जब नाबालिग थे तो उनकी सम्पति की देखभाल साज संवार व सुरक्षा हेतु कोर्ट ऑफ वार्ड को नियुक्त कर दिया । ठाकुर शिवलालसिंह जी का देहान्त सन् 1968 में हो गया । वादी के मिलने वाले श्री भगवान सहाय सैनी ने वादनी को दिनांक 16.5.2011 को अतिरिक्त मंत्री महोदय राज्य अलवर के आदेश दि0 23.7.47 की फोटोस्टेट प्रति उपलब्ध करायी जिस आदेश में वादी के पति स्व0 श्री ठाकुर शिवलालसिंह जी के जायदाद पर कोर्ट ऑफ वार्ड नियुक्त था और कोर्ट ऑफ वार्ड के रहते महन्त किशनदास महाराज अट्टा मन्दिर की जमीन बजाय बुरजा बाडवली से ख्वासजी के ठिकाना की जमीन को यह मानते हुए ठाकुर ख्वास शिवलालसिंह को नुकसान है और गायों की चराई हेतु बदलने की अनुमति दे दी । इस आदेश में किसी खसरा नम्बर व रकबे का जिक्र तक नहीं है फिर उक्त आदेश के तहत अदालत में इन्तकाल सं0 991 नम्बर का दर्ज कर दिया जिसमें स्व0 ठाकुर ख्वास शिवलालसिंह जी जो कि वादी के पति हैं के कब्जे काश्त खातेदारी के ख0 नं0 1042, 1043, 1301, 1302, 1037 का उक्त इन्तकाल में गलत इन्द्राज कर दिया जो इन्तकाल बेबुनियाद मिथ्या व गलत व शून्य है जिसके तहत किया गया राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज बेमायना है व हर प्रकार से निरस्तनीय है । वादी के पति विवादित आराजी खसरा नम्बरान पर स्वयं व अपने व्यक्तियों से काश्त कार्य कराते रहे । राजस्व रेकार्ड लेने व उन्हें देखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी । वादी भी समय–समय पर उक्त खसरा नम्बरान को काश्त पर देता रहा है । आराजी ख0 नं0 1037 जिसका बाद मे ख0 नं0 1593 व हाल ख0 नं0 1880 रकबा 67 ऐयर है जिस पर वादनी काबिज काश्तकार है । इस खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है जो मौके पर वादी के कब्जे में हैं । प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 1037 जिसके ख0 नं09 1593 बने व हाल 1880 रकबा 67 ऐयर से वादी को बेदखल नहीं करें व जबरन कब्जा करने से बाज आवे व विवादित आराजी को किसी प्रकार गलत इन्द्राज की आड़ में रहन, बय व हिबा आदि से मुन्तकिल ना करें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज कर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रार्थिनी/वादनी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2011 को खारिज कर लिया जिस निर्णय दि0 17.10.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । विद्धान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादनी/अपीलांटा के पति श्री शिवलालसिंह की यह सम्पति है । जब शिवलालसिंह एक वर्ष के थे तब उनके पिता का देहान्त हो गया जिस कारण उनकी समस्त सम्पति पर कोर्ट ऑफ वार्ड की नियुक्ति हो गई । ठाकुर शिवलालसिंह की सम्पति पर से 1957 में कोर्ट ऑफ वार्ड हट गया । उनकी जो सम्पति रही उसे कोर्ट आफ वार्ड ने कभी शिवलाल को सम्भलाया नहीं कि ये सम्पति आपकी रही है । सन् 1968 में ठाकुर शिवलालसिंह की मृत्यु हो गयी । जब कोर्ट ऑफ वार्ड ने शिवलाल की सम्पति सम्भलायी नहीं और जब उनकी पत्नि को यह जानकारी हुई तो उन्होंने यह दावा तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें मैंने यही कहा है कि मुझे भगवान सहाय सैनी ने बताया कि ये सम्पति कोर्ट ऑफ वार्ड की थी तब जानकारी होने पर यह दावा

किया गया । दि0 23.7.1947 को अति0 मंत्री महोदय अलवर का एक आदेश हुआ जिसकी जानकारी भगवान सहाय सैनी ने प्रेमकुमारी को दी । आदेश अनुसार नामान्तकरण चढ़ा है, जिसमें कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है । कोर्ट ऑफ वार्ड की नियुक्ति के समय जिस जमीन को बेचान किया, शिवलालसिंह ने उसे वोईड करार दिया है । इन्तकाल सं0 991 में इन्तकाल की पुश्त पर तहसीलदार ने लिखा है, आपत्ति की है कि रजिस्ट्री आदि से इन्तकाल होनी चाहिए तब नामान्तकरण खुला । इस दस्तावेज / आदेश दि0 5.11.1947 अति0 आयुक्त अलवर में किसी जमीन का निर्णय नहीं है । इसके बदले हमें कोई जमीन मिली हो ऐसा कोई विवरण भी नहीं है । इस इन्तकाल को भी खारिज कर दिया और अपील हुई थी । यह तो एक्सचेन्ज हुआ है वह भी गायों को चराने के लिए । यह निर्णय ठाकुर शिवलालसिंह पर बाउण्ड नहीं है क्योंकि ये जमीन उस वक्त कोर्ट ऑफ वार्ड में थी । मेरा टी.आई. जो तहत न्यायालय ने खारिज किया है । मैंने सम्वत् 2069 की जमाबन्दी पेश की है, में रेकार्डेड खातेदार कहा से आउंगा । मेरी जमीन तो पहले ही फैसले से 1947 व 1949 में हटा दी थी । हम यही रीलिफ चाह रहे हैं कि जमीन का बेचान नहीं करें । मेरे नाम की मैंने गिरदावरी पेश की है । रेस्पो0/प्रति0 की लोकस स्टेण्डाई नहीं बनती है । यह आराजी मूर्ति मन्दिर की नहीं है और न ही उनके नाम है । राज्य सरकार के परिपत्र दि0 6.1.2010 व 24.5.2007 में मन्दिर माफी की जमीन का विवरण है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि किशनदास ने गायों को चराने के लिए यह जमीन अपने नाम चढायी है । यह मन्दिर की जमीन नहीं है । हमारा विवाद केवल ख0 नं0 1037 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का है जिसका विवरण इस अपील नामान्तकरण में नहीं है । इस प्रकार इस ख0 नं0 1037 का कोई एक्सचेन्ज नहीं हुआ है । निर्णय में खसरा नम्बर 1037 का कोई हवाला तहत न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है ।

इसलिए प्राईमाफैसी केस मेरे पक्ष में है, टी.आई. जारी करें । मुझे इस तथाकथित आराजी के बदले कोई जमीन प्राप्त नहीं हुई है । यदि मेरे नाम कोई जमीन हुई हो तो मैं सहर्ष तैयार हूं । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि दि0 23.7.1947 का आदेश इटसैल्फ स्पीकिंग आर्डर है जिसमें शिवलालसिंह माफीदार के रूप में दर्ज है । अलवर स्टेट के अनुसार सन् 1952 में रिजेम्पशन ऑफ जागीर एक्ट सम्वत् 2009 में आया । इस दिनांक को सारी की सारी जमीन जब्त कर ली गई । रिजेम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 का मकसद माफी खत्म करके खातेदारी प्रदान करना था । बीच का लगान बन्द करना था । ये एक्सचेन्ज इस कानून से पूर्व था । यदि ये एक्सचेन्ज कर सकते हैं तो दावे में तय होगा । सम्वत् 1959 में जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ । इस एक्ट की धारा 29 के अनुसार भी खतोदारी उन्हें ही मिली जो खुदकाश्त थे । हम शुरू से ही खातेदार रहे हैं तथा आज भी हैं । क्या कोर्ट ऑफ वार्ड सही है या गलत । इन्तकाल सही दर्ज हुआ या गलत ये सभी तथ्य दावें में तय होगें । आज स्थिति यह है कि अट्टा मन्दिर पिछले 70 साल से खातेदार हैं । तारा बनाम स्टेट के निर्णय के अनुसार मन्दिर की आराजी को बेच ही नहीं सकते तो हमें क्यों पाबन्द किया । इस प्रकरण में पुजारी को कोई खातेदारी नहीं मिल सकती है और न ही वह मूर्ति की जमीन को बेच सकता है । यह कृषि भूमि है और इसमें

इनकी कोई खातेदारी के लिए खुदकाश्त नहीं है । हम तो जो ये टी.आई. चाहते हैं उसके अनुसार हमें बेच भी नहीं सकते हैं । हम ट्रस्टी के रूप में बैठे हैं क्योंकि कोई अतिक्रमण न हो । इसलिए इनकी अपील सारहीन है । अतः अपील खारिज की जावें ।

जवाब उल जवाब में विद्धान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि 1947 का आदेश सैल्फ स्पीकिंग नहीं है । मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि ख0 नं0 1037 के ये कैसे खातेदार हुए । जागीर रिजेम्पशन में ये आती ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही 1947 में एक्सचेन्ज हो गया । इस प्रकार ये आराजी जब्त नहीं हुई बल्कि मेरी काश्त बोल रही है । यह जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड ने कब सम्भलवायी । मैं तो केवल एक नम्बर 1037 पर आया हूं और शेष जमीन पर किसने कब्जा रोका है । मैने हुक्म ईम्तनाई रेस्पो0 /तर0 के लिए भी चाही है । कोई इकरारनामा से बेच रहे हैं । इन्होंने स्टे लिया है तो मुझे भी स्टे चाहिए । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंन अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भौरेलाल बनाम घन्टोली निर्णय दि0 13.11.1973 की छाया प्रति पेश की ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

विवादित आराजी के संबंध में साबिक रेकार्ड व पूर्व के आदेशों के आधार पर घोषणात्मक वाद तहत न्यायालय में दायर किया है तथा विवादित आराजी अभी रेकार्ड में मन्दिर के नाम दर्ज है । इसलिए विवादित आराजी को रहन, बय की भी किसी पक्षकार द्धारा कोई सम्भावना नहीं है ।

विवादित आराजी के संबंध में हक हकूकों का निर्धारण दावे में तय होना बाकी है क्योंकि आराजी किसके नाम है, किसके नाम इन्तकाल सही या गलत खोला गया है आदि सभी तथ्यों को दावे में साक्ष्य व रेकार्ड के आधार पर तय किया जाना है । वर्तमान स्तर पर प्राईमाफैसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को देखा जाना है जो कि अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजी का संबंध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पूर्व से, जागीर रिजेम्पशन एक्ट के लागू होने के पूर्व से मन्दिर से रहा है । अतः अब यह तो दावे में ही मैरिट से तय होगा कि क्या जमीन का एक्सचेन्ज सही था, क्या प्रतिफल में शिवलालसिंह को जमीन प्राप्त हुई थी, क्या जमीन खुदकाश्त की थी, क्या निर्णय इन्तकाल सही थे । ये सभी बिन्दु दावे में ही तय होने हैं । वर्तमान में विवादित आराजी का संबंध रेकार्ड से मन्दिर से संबंधित रहा है तथा यह भी दावे में तय होगा कि यह आराजी मन्दिर माफी की है या पुजारी को एक्सचेन्ज में जानवर चराने हेतु दी गई है तथा अब तक जो आराजी किसी प्रकार से इकरारनामें से बेचान हुई है । वे भी दावे के निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं । यह भी वाद में तय होगा कि क्या इस जमीन का इकरारनामा हो सकता है या नहीं । इसलिए तहत न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दि0 17.10.2011 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर